जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति **दिनांक 04.11.2022**

थाना थानाभवन

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लोहे के गाडर बरामदः-

दिनांक 04.11.2022 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा सूचना पर 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। जि नके कब्जे से लोहे के 09 गाडर बरामद हुए है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 02.11.2022 को श्री मेघराज पुत्र जयसिंह निवासी मौहल्ला हरिनगर कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली ने स्वंय की सेंटरिंग की दुकान से धन्नू उर्फ रामधन निवासी मौहल्ला रामनगर थाना थानाभवन को लोहे के 09 गाडर किराये पर दिये थे, जिनको धन्नू उपरोक्त द्वारा बेचने के संबंध में थाना थानाभवन पर लिखित तहरीर दी गयी। दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 452/2022 धारा 406/411 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.नसीम पुत्र वहीद निवासी मौहल्ला नई बस्ती कस्बा व थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.धन्नू उर्फ रामधन पुत्र रामपाल निवासी मौहल्ला रामनगर कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली।

आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0स0 452/2022 धारा 406/411 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।

बरामदगीः-

1.लोहे के 09 गाडर।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री शिवराम थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.का0 आविद खान थाना थानाभवन जनपद शामली।

3.का0 विकास कुमार थानाभवन जनपद शामली।

थाना झिंझाना

पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में थाना झिंझाना पुलिस एवं जनपद की मॉनिटरिंग/अभियोजन सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते अभियुक्त को अलग-अलग मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई जेल में बिताई कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-

1. वर्ष 1995 में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा अभियुक्त नवाब पुत्र जवाद निवासी मौहल्ला पठानान कस्बा व थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर **मु0अ0सं0 290/1995 धारा 25 आयुध अधिनियम में अभियोग** पंजीकृत किया गया था, जिसमें आज दिनांक 04.11.2022 को माननीय न्यायालय कैराना द्वारा अभियुक्त नवाब उपरोक्त को **सुनाई जेल में बिताई कारावास की सजा व 2500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।**

2. वर्ष 2003 में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा अभियुक्त नवाब पुत्र जवाद निवासी मौहल्ला पठानान कस्बा व थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर **मु0अ0सं0 03/2003 धारा 25 आयुध अधिनियम में अभियोग** पंजीकृत किया गया था, जिसमें आज दिनांक 04.11.2022 को माननीय न्यायालय कैराना द्वारा अभियुक्त नवाब उपरोक्त को **सुनाई जेल में बिताई कारावास की सजा व 3000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।**

नाम व पता अभियुक्तगणः-

1.नवाब पुत्र जवाद निवासी मौहल्ला पठानान कस्बा व थाना झिंझाना जनपद शामली।